UPAZ010048112026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट) आजमगढ़

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1979/2026

रईस अहमद उम्र लगभग 40 साल पुत्र स्व० हबीबुल्लाह साकिन मुहल्ला एलवल, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार .....विपक्षी

मु०अ०सं०–77/2019
धारा–498A, 323, 504, 506, 427 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–मेंहनगर, जनपद –आजमगढ़

दिनाँक–12.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के मुकदमा अपराध सं०–77/2019 अन्तर्गत धारा–498A, 323, 504, 506, 427 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो सुनवाई हेतु आज नियत है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक द्वारा स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत करके शपथ कथन किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में लिखी गयी सम्पूर्ण बातें उसकी व्यक्तिगत जानकारी में सही व सच हैं, कोई बात छिपाई नहीं गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी नूरसबा बानों की शादी रईस अहमद साकिन मुहल्ला एलवल थाना कोतवाली आजमगढ़ के साथ शादी हुई थी। प्रार्थनी की जब से शादी हुई है उसके कुछ दिन बाद ही पति रईस दहेज में 5 लाख (पाच लाख) रुपये व सोने की सिफड़ी, चार चक्का गाड़ी की मांग करने लगे, कहे कि जावो अपने माँ बाप से मांग कर ले आ कर दो। किसी प्रकार नात रिश्तेदार से जुटा कर एक लाख रुपया उसके पिता द्वारा दिया गया, परन्तु कुछ समय बाद जेठानी सबीना बानों, ननद अरमारा, देवर सहजादे द्वारा दहेज में पैसा व सामान के लिए शारिरिक व मानसिक प्रताड़ना करते रहे। वह किसी प्रकार अपना

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2026.06.12 12:58:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जीवन यापन कर रही थी। जेठ नसीम जो मस्कत में रहते है उनके द्वारा फोन पर भद्दी 2 गाली गुप्ता देते थे और कहते थे कि अगर यह पैसा नहीं लाती है तो इसे जान से मार दो। दिनाँक 02.05.2019 को जेठानी, देवर, नन्द पति दौडा–2 कर मारने पीटने लगे जब उसने पूछा कि मेरी क्या गलती है तो पति ने कहा कि तुम्हारा बाप दहेज में मुझे पैसा नहीं दे रहा है मारते हुए मुझे घर से बाहर कर दिया और कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ तीन बार तलाक–तलाक–तलाक कह कर कहा कि अब दुबारा घर में आयी तो जान से मार दूंगा जब वह अपने पाँच साल के बच्चे को लेकर चली तो मेरा बच्चा गोद से छीनकर ले लिया साथ में मोबाइल भी छीनकर वहीं पटक दिया मोबाइल टूट गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है यह कि अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। कथित घटनाक्रम की सम्पूर्ण कहानी फर्जी, झूठी व मनगढ़ंत है। कथित घटनाक्रम का कोई स्वतन्त्र चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अभियुक्त द्वारा कभी भी मुकदमा वादिनी को प्रताड़ित नहीं किया गया न ही मारा–पीटा गया और न ही कथित दहेज की मांग की गयी। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त शान्तिप्रिय नागरिक है। जमानत का कभी दुरूपयोग नहीं करेगा। अभियुक्त का माननीय न्यायालय में प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त अग्रिम जमानत पाने का हकदार है। आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

न्यायालय में कार्यरत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का घोर विरोध किया गया और यह कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पीड़िता से दहेज की माँग की गयी है तथा न देने पर जान से मार पीट कर घर से भगा दिया गया। आवेदक द्वारा अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

पत्रावली के परिशीलन तथा उभय पक्षों को सुनने के उपरांत यह स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा की शादी आवेदक/अभियुक्त के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज में पाँच की माँग करते हुए वादिनी को आवेदक तथा अन्य अभियुक्तगण द्वारा दिनाँक 02.05.2019 को मार पीट कर घर से भगा दिया गया। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष से कम के कारावास की सजा से दण्डनीय है। प्रकरण पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित है। विवेचना उपरांत आरोप पत्र प्राप्त हो चुका है। आवेदक द्वारा विवेचना में सहयोग न किये

जाने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिकत इतिहास नहीं प्रस्तुत किया गया है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गणुदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना **Satendra Kumar Antil Vs Central Beauro of Investigation and another (2021) 10 S C C 773** में दी गयी व्यवस्था के प्रकाश में आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जामनत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रईस अहमद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा रू० 50,000/ (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की सन्तुष्टि का दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रकरण के विचारण में सहयोग करेगा,
2. गवाहों पर अनुचित दबाव नहीं डालेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा,
3. आरोप सृजित करते समय, अभियुक्त का बयान अंकित किये जाते समय या न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर किसी भी समय अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करायेगा,
4. न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर विदेश/बाहर नहीं जायेगा,

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय अग्रिम जमानत निरस्त कर सकेगा।

दिनाँक–12.06.2026

(कमलापति)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट)
J.O.Code U P 6168